# माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – examcontroller@msuniversity.ac.in

पत्राक : 432/परीक्षा/एम0एस0यू0/2023–24 दिनांक :– 10.04.24

## कार्यालय ज्ञाप

एतद्द्वारा समस्त सम्बन्धित को सूचित किया जाता है कि परीक्षा समिति की बैठक दिनांक : 09.01.2024 में किये गये निश्चय के आलोक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 हेतु निर्गत नियमावली पर पुनर्विचार कर आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु विश्वविद्यालय के पत्र : 427/परीक्षा/एम0एस0यू0/2023–24, दिनांक : 05.04.2024 द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति द्वारा कतिपय संशोधनों के साथ नियमावली तैयार की गई। परीक्षा समिति की बैठक दिनांक : 09.04.2024 में उक्त नियमावली को यथावत् स्वीकार करते हुए अग्रिम कार्यवाही किये जाने का निश्चय किया गया, तत्क्रम में समस्त सम्बन्धित उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। संशोधित नियमावली विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.msuniversity.ac.in पर उपलब्ध है।

परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय।
2. समस्त सम्बन्धित।
3. कुलसचिव।
4. वित्त अधिकारी।
5. उपकुलसचिव।
6. अधिकृत एजेंसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. कार्यालय कुलपति को, माननीय कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
8. गार्ड फाईल।

परीक्षा नियंत्रक

# माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

## MAA SHAKUMBHARI UNIVERSITY, SAHARANPUR

Website- msuniversity.ac.in Email ID – examcontroller@msuniversity.ac.in

पत्रांक : /गोपनीय/एम0एस0यू0/2023–24 दिनांक:

**राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020 स्नातक/परास्नातक एवं शोध पाठ्यक्रम नियमावली**
**शैक्षणिक सत्र 2023–24**

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक : 09.01.2024 के मद संख्या : 02 में पारित संकल्प के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति (N.E.P–2020) के अन्तर्गत स्नातक(बी०ए०/बी०एससी०/बी०कॉम०)/परास्नातक (एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0) एवं शोध पाठ्यक्रमों हेतु निर्गत नियमावली पर पुनर्विचार कर संस्तुति उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक 343/परीक्षा/एम0एस0यू0/2023–24, दिनांक : 10.01.2024 द्वारा पाँच सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। पूर्व निर्गत नियमावली पर सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् संस्तुति प्रस्तुत है–

**1. क्षेत्र (Scope) –**

1.1 यह नियमावली स्नातक(बी०ए०/बी०एससी०/बी०कॉम०), स्नातक (शोध सहित), परास्नातक (एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0) एवं शोध पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र 2023–24 से CBCS व्यवस्था के अन्तर्गत लागू होगी।

1.2 जिन संकायों के पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में किसी नियामक संस्था के नियम लागू होते हैं उन पाठ्यक्रमों पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

**2. विषय चुनाव एवं प्रवेश प्रक्रिया–**

2.1 सर्वप्रथम विद्यार्थी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अपने संकाय (Science/Arts/Commerce & Management etc.) का चुनाव करेगा।

2.2 विश्वविद्यालय/महाविद्यालय उपलब्ध सीट एवं नियमों के आधार पर विद्यार्थी को सम्बन्धित संकाय में प्रवेश देगा।

2.3 विद्यार्थी तीन मुख्य विषयों (Major) का चुनाव करेगा, जिनमें से दो मुख्य विषय उसे चुने हुए स्वयं संकाय से लेना अनिवार्य होगा तथा तृतीय मुख्य विषय वह स्वयं के संकाय अथवा अन्य संकाय से ले सकता है।

2.4 तत्पश्चात विद्यार्थी को क्रमशः प्रथम वर्ष (प्रथम अथवा द्वितीय सेमेस्टर) व द्वितीय वर्ष (तृतीय अथवा चतुर्थ सेमेस्टर) में एक–एक माइनर इलैक्टिव पेपर स्वयं के संकाय अथवा अन्य संकाय से लेना अनिवार्य होगा। माइनर इलैक्टिव पेपर का चयन स्वयं के संकाय से करने की दशा में तृतीय मुख्य विषय अन्य संकाय से लेना अनिवार्य है। तृतीय मुख्य विषय एवं माइनर इलैक्टिव पेपर का चयन अलग–अलग संकाय से करना होगा। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध संसाधन एवं सीटों के आधार पर माइनर इलैक्टिव पेपर आवंटित किया जायेगा।

2.5 प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम चार सेमेस्टर तक प्रत्येक सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा जारी कौशल विकास/रोजगारपरक कोर्स (Vocational/Skill Development) पाठ्यक्रम सूची से एक रोजगार परक पाठ्यक्रम लेना अनिवार्य होगा।

**3. किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश, निकास एवं पुनः प्रवेश की प्रक्रिया–**

3.1 स्नातक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विद्यार्थी को एक वर्ष (दो सेमेस्टर) में न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने के साथ निकास (Exit) की स्थिति में मांगे जाने पर संकाय में प्रमाण–पत्र (Certificate in Faculty) तथा दो वर्ष (चार सेमेस्टर) में न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने के साथ निकास (Exit) की स्थिति में मांगे जाने पर संकाय में डिप्लोमा (Diploma in Faculty) प्रदान किया जायेगा। विद्यार्थी को तीन वर्ष (छः सेमेस्टर) में न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर संकाय में डिग्री प्रदान की जायेगी।

नोट :– किसी भी प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी को निकास (Exit) के समय सम्बन्धित वर्ष के मुख्य विषय/माइनर पेपर/सह–पाठ्यक्रम/वोकेशनल पाठ्यक्रम/प्रोजेक्ट/लघु शोध परियोजना इत्यादि सभी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है

3.2 विद्यार्थी निकास के बाद अगले स्तर में पुनः प्रवेश ले सकेगा।

3.3 Prerequisite के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय/तृतीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सशर्त सुविधा उपलब्ध होगी।

3.4 क्रमशः सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा प्राप्त कर निकास (Exit) करने वाले विद्यार्थी पुनः डिग्री पूर्ण करने हेतु प्रवेश के समय सर्टिफिकेट तथा डिप्लोमा समर्पण (Surrender) करने के पश्चात ही उन्हें प्रवेश दिया जा सकता है।

**4. डिग्री का संकाय निर्धारण एवं पूर्ण करने की अवधि –**

4.1 विद्यार्थी जिस संकाय से तीन वर्ष में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसको डिग्री दी जायेगी एवं तद्नुसार स्नातकोत्तर में प्रवेश की सुविधा होगी।

4.2 यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल एजूकेशन (BLE) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन्हीं विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा, जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Prerequisite की आवश्यकता नहीं होगी।

**5. राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के संदर्भ में विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली अन्य सुविधायें –**

5.1 विद्यार्थी मान्यता प्राप्त संस्थाओं से 20 प्रतिशत तक यू०जी०सी०/शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनुमन्य सीमा तक क्रेडिट आनलाईन कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे तथा उसके अनुपात में कोर्स/विषय छोड सकेंगे। यू०जी०सी० के नियमों के अनुसार आनलाईन कोर्स के क्रेडिट सभी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को जोड़ने होंगे।

5.2 विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार निकट के अन्य शिक्षण संस्थान से किसी विशेष विषय को अध्ययन की सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा सकती है।

5.3 अर्जित किये गये क्रेडिट का उपयोग विद्यार्थी सिर्फ एक उपाधि के लिये ही कर सकेगा। एक बार किसी क्रेडिट का प्रयोग करने के पश्चात वह दूसरी उपाधि के लिये उसका प्रयोग नहीं कर सकेगा।

**6. परीक्षा व्यवस्था –**

6.1 सभी प्रश्नपत्र 100 अंक के होंगे जिनको क्रेडिट एंव फार्मूला के अनुसार परसेन्टाईल एवं ग्रेड में सॉफ्टवेयर द्वारा परिवर्तित कर दिया जायेगा।

6.2 सभी मुख्य विषयों एवं माइनर इलैक्टिव पेपर की परीक्षा 25 प्रतिशत सतत् आंतरिक मूल्यांकन एवं 75 प्रतिशत बाह्य मूल्यांकन के आधार पर की जायेगी। प्रत्येक का कुल पूर्णांक 100 होगा।

6.3 विषम सेमेस्टर की लिखित परीक्षा होगी तथा सम–सेमेस्टर की परीक्षा बहुविकल्पीय (MCQ) होगी।

6.4 सह–पाठ्यक्रम (Co-curricular) विषय की परीक्षा (विषम/सम–सेमेस्टर) बहुविकल्पीय (MCQ) होगी।

**7. उत्तीर्ण प्रतिशत –**

7.1 Qualifying प्रश्नपत्रों में Qualified के लिए Q ग्रेड तथा Not Qualified के लिए NQ ग्रेड दिया जायेगा।

7.2 मुख्य विषय एवं माइनर इलैक्टिव पेपर के प्रत्येक कोर्स/पेपर (Theory & Practical) का उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होगा, जो CBCS आधारित होगा।

7.3 सभी सह–पाठ्यक्रम (Co-curricular) तथा तृतीय वर्ष में लघु शोध (Minor project) Qualifying हैं। सह–पाठ्यक्रम के कुल पूर्णांक 100 में से उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होगें। लघु शोध (Minor project) के Qualifying होने की संस्तुति पंचम सेमेस्टर में महाविद्यालय/संस्थान के विभागीय स्तर पर प्रोजेक्ट प्रगति रिर्पोट के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सफल के लिए Q अथवा असफल के लिए NQ लिखकर की जायेगी। छठे सेमेस्टर में संयुक्त शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक व शोध निर्देशक द्वारा 100 अंक में से किया जायेगा।

7.4 कौशल विकास/रोजगारपरक कोर्स/पेपर का मूल्यांकन कुल पूर्णांक 100 में से होगा। जिनमें से प्रशिक्षण/ट्रेनिंग/प्रैक्टिकल आधारित कार्य का मूल्यांकन 60 अंकों में से होगा तथा सैद्धांतिक (Theory) आधारित कार्य का मूल्यांकन 40 अंकों में से होगा। उल्लेखनीय है कि चारों कौशल विकास कोर्स में आन्तरिक परीक्षायें सम्पन्न नहीं करायी जायेंगी। कौशल विकास कोर्स/पेपर में कुल पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उत्तीर्णांक 40 होंगे। प्रशिक्षण/ट्रेनिग एवं सैद्धांतिक (Theory) में अलग–अलग कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

कौशल विकास/रोजगारपरक कोर्स (Vocational/Skill Development) विषयों की परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा न करवाकर सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा करवाया जायेगा। ऐसे छात्र जिनके इस पाठ्यक्रम में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, की उत्तर पुस्तिका विश्वविद्यालय में भेजना अनिवार्य होगा।

7.5 सभी विषयों के मुख्य/माइनर/सह–पाठ्यक्रम के प्रत्येक कोर्स/पेपर (Theory & Practical) में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्ताकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी।

7.6 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/पेपर (Theory & Practical) में उत्तीर्ण होने हेतु (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने होंगे।

7.7 किसी भी कोर्स/पेपर के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आन्तरिक मूल्याकन में शून्य अंक व बाह्य परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 (मुख्य एवं माइनर विषयों में) अथवा 40 (सह–पाठ्यक्रम/लघु शोध विषयों में) प्रतिशत अंक मिलते हैं, तब भी वह उत्तीर्ण होगा। आन्तरिक मूल्यांकन में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगे।

7.8 किसी भी प्रकार के कृपाक (Grace marks) नहीं दिये जायेगे।

7.9 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की विश्वविद्यालय परीक्षा (बाह्य परीक्षा) में न्यूनतम निर्धारित 25 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो परीक्षा परिणाम में बाह्य परीक्षा के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।

7.10 यदि कोई छात्र/छात्रा मेजर/माइनर विषयों की बाह्य परीक्षा एवं आन्तरिक परीक्षा में कुल मिलाकर न्यूनतम 33 अंक प्राप्त करने में असफल रहता है तो वाह्य एवं आन्तरिक परीक्षा के योग के सम्मुख F (Fail) अंकित किया जायेगा।

तालिका–1 (Table-1)

| लेटर ग्रेड | विवरण | अंकों की सीमा | ग्रेड पॉइंट |
|---|---|---|---|
| 0 | Outstanding | 91-100 | 10 |
| A | Excellent | 81-90 | 9 |
| A | Very Good | 71-80 | 8 |
| B | Good | 61-70 | 7 |
| B | Above Average | 51-60 | 6 |
| C | Average | 41-50 | 5 |
| P | Pass | 33-40 | 4 |
| F | Fail | 0-32 | 0 |
| AB | Absent | Absent | 0 |
| Q | Qualified | | |
| NQ | Not Qualified | | |

**8. कक्षोन्नति (Promotion) –**

विद्यार्थी को विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम कुछ भी हो। इसके लिए विद्यार्थी द्वारा विषम सेमेस्टर की परीक्षा का फार्म विश्वविद्यालय में भरा जाना अनिवार्य है।

**9. बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा –**

9.1 विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) परीक्षा में सम्बन्धित पेपर की केवल बाह्य परीक्षा में ही सम्मिलित हो सकता है। पूर्व–छात्र (Ex-Student) के रुप में सम्पूर्ण (बाह्य व आन्तरिक) परीक्षा देने हेतु अनुमन्य होगा।

9.2 पूर्व–छात्र (Ex-Student) के रुप में एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर्स की सम्पूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकता।

9.3 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम/विषम सेमेस्टर्स के प्रश्नपत्रों के लिए सम/विषम सेमेस्टर्स में ही उपलब्ध होगी।

9.4 विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम/पेपर वही होगा जो वर्तमान सेमेस्टर, जिसमें वह परीक्षा दे रहा है में उपलब्ध होगा।

9.5 कोई विद्यार्थी एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक स्किल डेवलपमेण्ट कोर्स (कौशल विकास पाठ्यक्रम) की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

9.6 कोई विद्यार्थी एक सेमेस्टर में एक साथ दो से अधिक सह–पाठ्यक्रम (Co-curricular) की परीक्षा नहीं दे सकेगा।

9.7 CBCS प्रणाली में सेमेस्टर के सभी प्रश्नपत्रों में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होने की स्थिति में विद्यार्थी सम्बन्धित सेमेस्टर के समस्त प्रश्नपत्रों की परीक्षा देगा। यदि विद्यार्थी ने कुछ प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण कर लिए हैं तो आगामी सेमेस्टर के साथ विद्यार्थी को उन्हीं प्रश्नपत्रों के बैक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी, जिनमें वह पहले अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण रहा था।

9.8 वर्तमान सेमेस्टर का विद्यार्थी पिछले किसी एक सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के प्रश्नपत्रों की परीक्षा में बैंक परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होगा। उदाहरणार्थ–तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत विद्यार्थी तृतीय सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा के साथ प्रथम सेमेस्टर के अधिकतम 18 क्रेडिट के प्रश्न–पत्र की बैक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होगा।

9.9 ऐसे छात्र/छात्रा जो प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षा में सम्बन्धित सेमेस्टर में बैक परीक्षार्थी के रुप में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे।

9.10 पंचम एवं प्रथम सेमेस्टर तथा छठे एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षायें एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित होती है इसलिये पंचम सेमेस्टर एवं छठे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे परीक्षार्थियों को क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा के बैक प्रश्न–पत्र में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी। ऐसे छात्र जो पंचम एवं छठे सेमेस्टर तक भी प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की कुछ परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण रह जाते हैं, को छठा सेमेस्टर पूर्ण कर लेने के पश्चात ही प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की बैक प्रश्न–पत्र परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

9.11 स्नातक पाठ्यक्रम के छठे सेमेस्टर की मुख्य परीक्षा में बैठने तक यदि विद्यार्थी के प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक जिन प्रश्नपत्रों मे भी बैक होगी उन्हें उत्तीर्ण करने हेतु तृतीय वर्ष (पंचम सेमेस्टर) में प्रवेश से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के अन्तर्गत समस्त बैक प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इस निर्धारित अवधि में यदि विद्यार्थी किसी भी प्रश्न–पत्र को उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे सम्बन्धित संकाय में डिग्री प्रदान नहीं की जायेगी।

नोट :– यदि विद्यार्थी क्रमशः प्रथम वर्ष में प्रवेश के उपरान्त आगामी तीन वर्ष तक द्वितीय वर्ष में प्रवेश नहीं लेता है, द्वितीय वर्ष में प्रवेश के उपरान्त आगामी तीन वर्ष तक तृतीय वर्ष में प्रवेश नहीं लेता तदोपरान्त तृतीय वर्ष में प्रवेश लेता है तो ऐसी अवस्था में स्नातक डिग्री पूर्ण करने की अधिकतम अवधि नौ वर्ष (3+3+3) होगी।

## 10. SGPA / CGPA की गणना –

10.1 SGPA / CGPA की गणना निम्नवत सूत्रों से की जाएगी:–

**तालिका–2 (Table-2)**

| | |
|---|---|
| $j^{th}$ सेमेस्टर के लिये :<br><br>SGPA (Sj) = $\Sigma$ (Ci×Gi)/ $\Sigma$ Ci | यहाँ पर<br>Ci= Number of credits of the ith course in jth semester.<br>Gi = Grade point scored by the student in the ith cource in jth semester.<br>Sj = SGPA of the jth semester.<br>Cj = Total number of credits in the jth semester. |
| CGPA = $\Sigma$ (Cj×Sj)/ $\Sigma$ Cj | |

10.2 CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :–

समतुल्य प्रतिशत = CGPA × 9.5

10.3 विद्यार्थियों को निम्नवत सारणी के अनुसार श्रेणी (Devision) प्रदान की जाएगी :

**तालिका–3 (Table-3)**

| श्रेणी | वर्गीकरण |
|---|---|
| प्रथम श्रेणी | 6.50 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 अथवा इससे कम CGPA |
| द्वितीय श्रेणी | 5.00 अथवा उससे अधिक तथा 6.50 से कम CGPA |
| तृतीय श्रेणी | 4.00 अथवा उससे अधिक तथा 5.00 से कम CGPA |

10.4 SGPA/CGPA की गणना छात्र/छात्रा द्वारा परीक्षा फार्म में भरे गये प्रश्नपत्रों के कुल ग्रेड वैल्यू को कुल क्रेडिट से भाग देकर की जायेगी।

## 11. शोध परियोजना –

11.1 स्नातक स्तर पर विद्यार्थी को तीसरे वर्ष के पंचम व छठे सेमेस्टर में एक संयुक्त लघु शोध परियोजना करनी होगी।

11.2 यह शोध परियोजना विद्यार्थी द्वारा चुने गये तीसरे वर्ष के दो मुख्य विषय में से किसी एक विषय से सम्बन्धित होगी। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिग/इण्टरनशिप/सर्वे इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

11.3 शोध परियोजना सम्बन्धित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर के विभाग के एक शिक्षक के निर्देशन में की जायेगी, एक अन्य को–सुपरवाईजर किसी उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से लिया जा सकता है।

11.4 लघु शोध (Minor project) के Qualifying होने की संस्तुति पंचम सेमेस्टर में महाविद्यालय/संस्थान के विभागीय स्तर पर प्रोजेक्ट प्रगति रिर्पोट के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त सफल के लिए Q अथवा असफल के लिए NQ लिखकर की जायेगी। छठे सेमेस्टर में संयुक्त लघु शोध प्रबन्ध का मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक व शोध निर्देशक द्वारा 100 अंक में से किया जायेगा, जिसमें 40 अथवा उससे अधिक अंक पाने पर Q Grade तथा 40 से कम अंक पाने पर NQ Grade दिया जायेगा।

## स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रम

**12. क्षेत्र (Scope) –**

स्नातक (शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं शोध पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में CBCS आधारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 का पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू होगा।

**13. स्नातकोत्तर में प्रवेश व निकास –**

13.1 नवीन अथवा पुरातन प्रणाली के तीन वर्षीय स्नातक उपाधि प्राप्त विद्यार्थी, स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पात्र होंगे। यह वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष कहलायेगा।

13.2 स्नातकोत्तर में प्रवेश माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश परीक्षा अथवा मेरिट पर आधारित होगा।

13.3 प्रवेश के लिए न्यूनतम अर्हता विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगी।

13.4 स्नातकोत्तरके प्रथम वर्ष में न्यूनतम 52 क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करने के पश्चात यदि कोई छात्र छोड़ कर जाना चाहता है तो उसे स्नातक (शोध) की उपाधि प्रदान की जायेगी।

13.5 स्नातकोत्तर में प्रवेश(Entry)/निकास(Exit) की यह सुविधा (बिन्दु संख्या : 13.4) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अर्न्तगत तीन वर्षीय स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले उन विद्यार्थियों को ही अनुमन्य होगी, जिन्होनें स्नातक (शोध सहित)/स्नातकोत्तर के विषय को स्नातक के तीनों वर्षों में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किया हो।

13.6 ऐसे सभी विद्यार्थी जो स्नातक डिग्री सफलतापूर्वक पूर्ण कर चुके हैं लेकिन जिस विषय में प्रवेश चाहते हैं वह विषय उन पर मुख्य विषय के रुप में तीनों वर्षों में नहीं रहा है अथवा वे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की डिग्री प्राप्त हैं। ऐसे सभी विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के उन्हीं विषयों में प्रवेश लेने हेतु अर्ह हैं जिनमें प्रवेश हेतु पूर्व शर्तें (Prerequisite) निर्धारित नहीं है।

13.7 स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष दोनों को मिलाकर कुल न्यूनतम 100 (52+48) क्रेडिट अर्जित कर उत्तीर्ण करने पर विद्यार्थी को उस विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जायेगी।

**14. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की संरचना –**

14.1 स्नातकोत्तर कार्यक्रम की संरचना जैसे कि प्रश्नपत्रों का प्रकार, उनकी संख्या, क्रेडिट इत्यादि तालिका (शासनादेश 13 जुलाई 2021 का अन्तिम पृष्ठ) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार होगी।

14.2 स्नातकोत्तरमें केवल एक मुख्य विषय (Major Subject) होगा।

14.3 स्नातकोत्तर के मुख्य विषय (Major Subject) के 04 सैद्धांतिक (Theory) के प्रश्न–पत्र (प्रत्येक पाँच क्रेडिट का) अथवा 04 सैद्धांतिक (Theory) के एवं एक प्रयोगात्मक (Practical) का प्रश्न–पत्र (प्रत्येक 04 क्रेडिट) एक सेमेस्टर में होगें। इस प्रकार प्रत्येक सेमेस्टर में मुख्य विषय के प्रश्नपत्रों 20 क्रेडिट के होगें। एक वर्ष में 40 क्रेडिट व दो वर्ष (चार सेमेस्टरों) में कुल 80 क्रेडिट मुख्य विषय के होगें।

14.4 स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के किसी एक सेमेस्टर (प्रथम अथवा द्वितीय) में छात्र को एक माइनर इलेक्टिव प्रश्नपत्र, मुख्य विषय (Major Subject) से अलग किसी अन्य संकाय के विषय से लेना होगा। यह प्रश्न–पत्र 04 या अधिक क्रेडिट का होगा।

**15. स्नातकोत्तर कार्यक्रम में शोध परियोजना (Research Project) :**

15.1 स्नातकोत्तर के प्रथम (सप्तम् एवं अष्टम् सेमेस्टर) व द्वितीय वर्ष (नवम् एवं दशम् सेमेस्टर) में विद्यार्थी को मुख्य विषय से सम्बन्धित वृहद शोध परियोजना अनिवार्य रूप में करनी होगी, जोकि प्रत्येक सेमेस्टर में 4 क्रेडिट की होगी।

15.2 यह शोध परियोजना अन्तर्विषयक/बहुविषयक (Interdisciplinary/Multi-disciplinary) भी हो सकती है। यह शोध परियोजना आद्यौगिक प्रशिक्षण/इर्न्टनशिप/सर्वे (Industrial Training/ Internship/Survey) इत्यादि के रूप में भी हो सकती है।

15.3 शोध परियोजना एक शिक्षक पर्यवेक्षक (Supervisor) के निर्देशन में की जायेगी, अगर आवश्यक हो तो एक अन्य व्यक्ति को सह पर्यवेक्षक (Co-supervisor) बनाया जा सकता है, जो उस उद्योग/कम्पनी/तकनीकी संस्थान/शोध संस्थान से सम्बन्धित होगा, जहाँ पर शोध कार्य किया जायेगा।

15.4 स्नातक शोध सहित एवं स्नातकोत्तर के विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर में 4 क्रेडिट (4 घंटे प्रति सप्ताह) की शोध परियोजना करनी होगी।

15.5 विद्यार्थी विषम सेमेस्टर (सप्तम् व नवम् सेमेस्टर) के अन्त में विभागीय स्तर पर पर्यवेक्षक शिक्षक व विभागाध्यक्ष के समक्ष शोध परियोजना की प्रगति आख्या (Progress Report) प्रस्तुत करेगा, जिसके आधार पर विद्यार्थी को प्रत्येक सेमेस्टर (सप्तम् व नवम् सेमेस्टर) में पूर्णांक 100 में से अंक प्रदान किये जायेगें, जिसक उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होगा। विद्यार्थी प्रत्येक वर्ष (चतुर्थ/पंचम वर्ष) के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना का संयुक्त वृहद शोध प्रबन्ध (Major Research Project/Dissertation) महाविद्यालय में जमा करेगा, जिसका मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक शिक्षक (Supervisor) एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित बाह्य परीक्षक (External Examiner) द्वारा संयुक्त रूप से 100 अंकों में से किया जायेगा, उत्तीर्णांक 40 प्रतिशत होगें। इस प्रकार प्रत्येक सेमेस्टर में शोध परियोजना के कुल 04–04 क्रेडिट प्रदान किये जायेंगे।

15.6 यदि कोई विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से कोई शोध पत्र UGC – CARE listed/Referred Journal शोध पत्रिका में स्नातकोत्तरकार्यक्रम के दौरान प्रकाशित करवाता है, तो उसे शोध परियोजना के मूल्यांकन (पूर्णांक 100 में से) में 25 अंक तक अतिरिक्त दिये जा सकते हैं। कुल प्राप्तांक अधिकतम 100 अंक ही होंगे।

15.7 शोध परियोजना के प्राप्तांक–आधारित ग्रेड अंकित होगें तथा उन्हें CGPA की गणना में भी सम्मिलित किया जायेगा।

**16. पी0एच0डी0 कार्यक्रम –**

16.1 पी0एच0डी0 कार्यक्रम में प्रवेश एवं संचालन के नियम विश्वविद्यालय द्वारा उ0प्र0 शासन/यू0जी0सी0 के दिशा निर्देशों के अनुसार बनाकर लागू होंगे।

16.2 पी0एच0डी0 कार्यक्रम में शोध परियोजना से पहले सभी विद्यार्थियों को प्री0–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क करना अनिवार्य होगा।

16.3 विश्वविद्यालय में प्री–पी0एच0डी0 कोर्स की संरचना में एकरूपता लाने के लिए इस कोर्स वर्क में मुख्य विषय के दो प्रश्न–पत्र 6–6 क्रेडिट के होगें तथा एक प्रश्न–पत्र 04 क्रेडिट का (उस मुख्य विषय से सम्बन्धित Research Methodology, Including research ethics, plagiarism and computer application) कुल 3 प्रश्न–पत्र होंगे, जो कुल 16 क्रेडिट के होंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए तीनों प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण करने अनिवार्य होंगे।

16.4 पी0एच0डी0 कार्यक्रम के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नियमावली–2016 (UGC Regulation 2016) के बिन्दु संख्या 7.8 के अनुरूप प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (Minimum passing marks) 55% अथवा समकक्ष ग्रेड/CGPA से उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा।

16.5 उपरोक्त सैद्धांतिक (Theory) प्रश्नपत्रों के अतिरिक्त प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में एक शोध परियोजना भी अनिवार्य रूप से करनी होगी।

16.6 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स के तीनों प्रश्नपत्रों एवं शोध परियोजना के प्राप्तांको पर आधारित ग्रेड, ग्रेड शीट पर अंकित होंगे परन्तु शोध परियोजना के ग्रेड CGPA की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

16.7 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के तीनों प्रश्नपत्रों में 16 क्रेडिट अर्जित करने वाले विद्यार्थी को उस मुख्य विषय में Post Graduate Diploma in Research (PGDR) दिया जायेगा। अगर वह शोध कार्य को आगे जारी नहीं रखना चाहता है।

16.8 प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क उत्तीर्ण करने के पश्चात ही विद्यार्थी को पी0एच0डी0 में शोध के लिए पंजीकृत किया जायेगा।

16.9 उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या–69/सत्तर–1–2022, दिनांक 06.01.2021 के अनुसार सेवारत शिक्षकों के लिए प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क को पूर्ण करने हेतु भौतिक कक्षाओं के साथ–साथ ऑनलाइन कक्षाओं को भी मान्यता प्रदान की जायेगी। जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा इस सम्बन्ध में सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से ऑनलाइन कोर्स वर्क का प्रारूप व नियम बनाये जायेगें।

**17. सतत् आन्तरिक मूल्यांकन (Continuous Internal Evaluation, CIE) –**

17.1 सभी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक (Theory & Practical) के कोर्स/प्रश्न–पत्र में अधिकतम 25 अंकों का सतत् आन्तरिक मूल्यांकन किया जायेगा।

17.2 प्रत्येक सैद्धांतिक (Theory) प्रश्न–पत्र में एक लिखित आन्तरिक विवरणात्मक प्रकृति की अधिकतम 15 अंको की लिखित परीक्षा होगी। 10 अंकों का मूल्यांकन क्लास टेस्ट (Class Test), असाइनमेन्ट (Assigment), प्रश्नोत्तरी (Quizes), प्रजेन्टेशन (Presentation), लघु प्रोजेक्ट (Small Project) इत्यादि के द्वारा किया जायेगा। जोकि सम्बन्धित शिक्षक द्वारा विभागाध्यक्ष की सहमति से स्पष्ट पारदर्शी नियम बनाकर किया जायेगा ।

17.3 सम्बन्धित शिक्षक द्वारा आन्तरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिका, प्रश्नोत्तरी, प्रोजेक्ट एवं सम्बन्धित सामग्री को मूल्यांकन के बाद छात्रों को दिखाया जायेगा एवं वापिस लेकर अपनी निगरानी में सम्बन्धित शिक्षक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य द्वारा परिणाम घोषित होने के कम से कम एक वर्ष बाद तक अवश्य सुरक्षित रखा जायेगा।

17.4 शिक्षक/विभागाध्यक्ष/प्राचार्य आन्तरिक मूल्यांकन के अधिकतम 25 अंकों के पूर्णांक में से प्राप्तांकों को विश्वविद्यालय पोर्टल पर निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन अपलोड करेंगे, इसकी हार्डकॉपी अविलम्ब विश्वविद्यालय में जमा करायेंगे तथा एक प्रति अपने पास सुरक्षित रखेंगे।

17.5 सतत् आन्तरिक मूल्यांकन से सम्बन्धित सभी खर्चों का वहन सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान द्वारा विद्यार्थियों से वार्षिक आन्तरिक परीक्षा शुल्क के रूप में विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार प्राप्त आन्तरिक परीक्षा शुल्क से करेंगे।

**18. उपस्थिति एवं विश्वविद्यालय परीक्षा (University Examination, UE) –**

18.1 विद्यार्थी के लिए परीक्षा देने से पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। क्रेडिट वैलिडेशन के लिए परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे। विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करेगा, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाने पर वह आगामी समय में सम सेमेस्टर की परीक्षा सम सेमेस्टर के साथ तथा विषम सेमेस्टर की परीक्षा विषम सेमेस्टर के साथ दे सकता है।

18.2 किसी पाठ्यक्रम संरचना (Course Module) के लिये निर्धारित क्रेडिट प्राप्त करने में असफल विद्यार्थी के लिये "पृथक रूप से" पुनः परीक्षा अथवा बैक प्रश्न–पत्र परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। सेमेस्टर प्रणाली की पारम्परिक और प्रचलित व्यवस्था के क्रम में उसे सम अथवा विषम सेमेस्टर की नियमानुसार आयोजित परीक्षा के साथ निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करते हुए पुनः परीक्षा देनी होगी।

18.3 प्रत्येक सेमेस्टर के अन्त में विश्वविद्यालय द्वारा बाह्य परीक्षायें करायी जायेगी। प्रत्येक सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सभी लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षायें अधिकतम 75 अंको की होगी।

**19. उत्तीर्ण प्रतिशत –**

19.1 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पूर्व की भांति तीन वर्षीय स्नातक उपाधि आवश्यक होगी तथा प्रवेश के नियम व प्रक्रिया माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनुपर के द्वारा बनाये नियमानुसार होगी। इसमें परिवर्तन का अधिकार पूर्णतः विश्वविद्यालय में निहित रहेगा।

19.2 मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/प्रश्न–पत्र सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक (Theory & Practical) सभी का पूर्णांक 100 (4/5/6 Credit course) है। स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण प्रतिशत 40 होगा तथा प्री0–पी0एच0डी0 में उत्तीर्ण प्रतिशत 55 होगा।

19.3 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में वृहद शोध परियोजना का पूर्णांक 100 का होगा तथा यह 04 क्रेडिट प्रति सेमेस्टर की होगी और इसका उत्तीर्ण प्रतिशत 40 होगा।

19.4 सभी विषयों के मुख्य/माइनर के प्रत्येक कोर्स/प्रश्न–पत्र सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक (Theory & Practical) सभी में अधिकतम अंक 100 में से प्राप्तांकों की गणना 25 अंकों के सतत् आन्तरिक मूल्यांकन व 75 अंकों की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा में प्राप्त अंकों को जोड़ कर की जायेगी। वृहद शोध परियोजना हेतु मूल्यांकन कुल प्राप्तांक 100 में से ही होगा।

19.5 स्नातक (शोध) एवं स्नातकोत्तर में मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रत्येक कोर्स/प्रश्न–पत्र सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक (Theory & Practical) सभी में उत्तीर्ण होने हेतु : (अ) विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक (75 का 33 प्रतिशत) लाने आवश्यक होंगे तथा (ब) आन्तरिक एवं बाह्य परीक्षाओं में कुल मिलाकर पूर्णांक 100 में से न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करने होंगे।

19.6 किसी भी कोर्स/प्रश्न–पत्र के आन्तरिक मूल्यांकन में कोई भी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी को आंतरिक परीक्षा में शून्य अंक प्राप्त होते हैं तो उस स्थिति में मुख्य एवं माइनर विषयों के प्रश्न–पत्र उत्तीर्ण करने हेतु विद्यार्थी को बाह्य एवं आन्तरिक परीक्षा में पूर्णांक 100 में से न्यूनतम उतीर्णांक 40 एवं वृहद शोध परियोजना में 50 अंक प्राप्त करने आवश्यक होगें। आन्तरिक मूल्यांकन की परीक्षा में पूर्ण अनुपस्थिति पर भी शून्य अंक ही मिलेगें।

19.7 उत्तीर्ण होने के लिए किसी भी प्रकार के कृपांक (Grace marks) नहीं दिये जायेगें।

19.8 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने हेतु 5.0 न्यूनतम CGPA प्राप्त करना आवश्यक होगा।

**20. कक्षोन्नति (Promotion) –**

20.1 विद्यार्थी को विषम (Odd) सेमेस्टर से अगले सम (Even) सेमेस्टर में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम कुछ भी हो। इसके लिए विद्यार्थी द्वारा मात्र विषम सेमेस्टर की परीक्षा का फार्म विश्वविद्यालय में भरा जाना अनिवार्य है।

20.2 वर्तमान सम सेमेस्टर से अगले विषम सेमेस्टर अर्थात स्नातकोत्तर के प्रथम वर्ष से द्वितीय वर्ष अर्थात द्वितीय सेमेस्टर से तृतीय सेमेस्टर में प्रोन्नति निम्न शर्तों के अधीन दी जायेगी :–

(अ) विद्यार्थी ने वर्तमान प्रथम वर्ष (दोनों सेमेस्टरों में मिलाकर) के कुल आवश्यक (required) क्रेडिटस् का न्यूनतम 50% क्रेडिट के कोर्स/प्रश्नपत्रों (थ्योरी, प्रेक्टिकल, एवं वृहद शोध परियोजना को मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों। न्यूनतम 50% क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जाएंगे। जैसे कि 27.6 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

(ब) कक्षान्नोति के लिए कोई न्यूनतम CGPA लागू नहीं होगा।

20.3 स्नातकोत्तर कार्यक्रम का प्रथम वर्ष उच्च शिक्षा का चतुर्थ वर्ष होगा। इसमें न्यूनतम 5.0 CGPA के साथ उत्तीर्ण करके यदि कोई विद्यार्थी निकास (Exit) करता है, तो उसे स्नातक (शोध सहित) संकाय [Bachelor (Research) in faculty] की उपाधि प्रदान की जायेगी। यह सुविधा केवल उन्हीं विद्यार्थियों को उपलब्ध होगी, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अन्तर्गत त्रिवर्षीय स्नातक की उपाधि पूर्ण की है तथा स्नातकोत्तर का वह विषय उसके स्नातक के तीनों वर्ष में होना अनिवार्य है। यह सुविधा बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन डिग्री धारक स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रदान नहीं की जायेगी।

## 21. क्रेडिट निर्धारण –

21.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अर्न्तगत सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक समान ग्रेडिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जिससे सभी विश्वविद्यालयों में समान व्यवस्था हो तथा विद्यार्थी का एक विश्वविद्यालय/महाविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अबेकस यूपी **(ABACUS UP)** के द्वारा स्थानांतरण किया जा सके। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर बी०ए०, बी०एस०सी० एवं बी०काम0 के तीन वर्ष हेतु 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश संख्या –1032 सत्तर–3–2022–08 (35)2020 दिनांक 20 अप्रैल 2022 के द्वारा सत्र 2021–22 से लागू की संस्तुति की गई है। यह ग्रेडिंग प्रणाली यू0जी0सी0 के द्वारा जारी दिशा निर्देशों पर आधारित है। इसी के अनुरूप स्नातकोत्तर स्तर पर सत्र 2023–24 से माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर में लागू की गयी नीति के अर्न्तगत निम्नलिखित (तालिका–4) 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जायेगी।

**तालिका – 4 स्नातक (शोध सहित) एवं स्नातकोत्तर के लिए संस्तुत 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली**

| लेटर ग्रेड | विवरण | अंकों की सीमा | ग्रेड पांइट |
|---|---|---|---|
| O | Outstanding | 91-100 | 10 |
| $A^+$ | Excellent | 81-90 | 9 |
| A | Very Good | 71-80 | 8 |
| B | Good | 61-70 | 7 |
| C | Average | 51-60 | 6 |
| P | Pass | 40-50 | 5 |
| F | Fail | Below 40 | 0 |
| AB | Absent | Absent | 0 |
| Q | Qualified | ≥ 40 or above | - |
| NQ | Not Qualified | < 40 less than | - |

21.2 **प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में क्रेडिट निर्धारण एवं ग्रेडिंग प्रणाली :**

21.2.1 प्री–पी0एच0डी0/PGDR कोर्स वर्क में प्रवेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर आधारित माँ शाकुम्भरी, विश्वविद्यालय, सहारनपुर के द्वारा बनाये गये नियमों के आधार पर किये जायेगें।

21.2.2 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1567/सत्तर–3–2021–16 (26)2011 टी०सी० दिनांक 13 जुलाई 2022 को संस्तुति की गयी तालिका–1 के अनुसार प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में दो प्रश्नपत्र/कोर्स (प्रत्येक 6 क्रेडिट का) सम्बन्धित विषय के तथा एक प्रश्नपत्र/कोर्स न्यूनतम 4 क्रेडिट का शोध प्रवधि अर्थात अनुसंधान क्रिया विधि (Research Methodology) का होगा। इन तीनों प्रश्नपत्रों/कोर्स में प्रत्येक 100 पूर्णांक का होगा तथा इनके उत्तीर्णांक 55 अंक होगे। यह नियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन 2022 के नियम 7.8 के अनुरूप है। प्री–पी0एच0डी0/PGDR कोर्स वर्क की ग्रेडिंग तालिका–5 के अनुसार होगी।

**तालिका – 5 : प्री–पी0एच0डी0 कोर्स वर्क के लिए 10 पॉइंट ग्रेडिंग प्रणाली**

| लेटर ग्रेड | विवरण | अंकों की सीमा | ग्रेड पांइट |
|---|---|---|---|
| O | Outstanding | 91-100 | 10 |
| $A^+$ | Excellent | 81-90 | 9 |
| A | Very Good | 71-80 | 8 |
| $B^+$ | Good | 61-70 | 7 |
| B | Above average (Pass) | 55-60 | 6 |
| F | Fail | 0-54 | 0 |
| AB | Absent | Absent | 0 |
| Q | Qualified | | |
| NQ | Not Qualified | | |

**21.2.3** कोर्स वर्क के अतिरिक्त प्री0–पी0एच0डी0 कोर्स में एक अनिवार्य वृहद शोध परियोजना जोकि अर्हताकारी (Qulalifying) करनी अनिवार्य होगी। यह शोध परियोजना non- credit course के रूप में मानी जायेगी। इसमें लैटर ग्रेड (Letter Grade) Q अथवा NQ दिया जायेगा। इसके ग्रेड को CGPA की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

## 22. CGPA/SGPA की गणना एवं श्रेणी निर्धारण –

22.1 स्नातकोत्तर/PGDR कोर्स वर्क में SGPA एवं CGPA की गणना निम्न तालिका–6 में दिये गये सूत्रों से की जाएगी :

**तालिका 6 : CGPA/SGPA की गणना**

| | |
|---|---|
| **jth** सेमेस्टर के लिये : | यहाँ पर : |
| SGPA (Sj) = Σ (Ci×Gi)/ Σ Ci | Ci= number of credits of the ith course in jth semester.<br>Gi = grade point scored by the student in the ith course in jth semester. |
| CGPA = Σ (Cj×Sj)/Σ Cj | यहाँ पर :<br>Sj = SGPA of the jth semester.<br>Cj = Total number of credits in the jth semester. |

22.2 CGPA को प्रतिशत अंको में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जायेगा :

समतुल्य प्रतिशत = CGPA **X** 9.5

22.3 विद्यार्थियों को तालिका 7 के अनुसार स्नातकोत्तरमें श्रेणी (Division) प्रदान की जाएगी :
तालिका 7 : स्नातक (शोध सहित), एवं स्नातकोत्तर में CGPA के आधार पर श्रेणी निर्धारण

| श्रेणी | वर्गीकरण |
|---|---|
| **प्रथम श्रेणी** | 7.00 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम अथवा बराबर CGPA |
| **द्वितीय श्रेणी** | 5.00 अथवा उससे अधिक तथा 7.00 से कम CGPA |

22.4 प्री–पी0एच0डी0/PGDR कोर्स वर्क में तालिका 8 के अनुसार श्रेणी प्रदान की जायेगी :
तालिका 8 : प्री– पी0एच0डी0 कोर्स वर्क में CGPA के आधार पर श्रेणी निर्धारण

| श्रेणी | वर्गीकरण |
|---|---|
| **प्रथम श्रेणी** | 7.00 अथवा उससे अधिक तथा 10.00 से कम अथवा बराबर CGPA |
| **द्वितीय श्रेणी** | 5.50 अथवा उससे अधिक तथा 7.00 से कम CGPA |

22.5 प्री–पी0एच0डी0/PGDR कोर्स वर्क को उपरोक्त नियमानुसार सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर परीक्षार्थी को स्नातकोत्तर/डिप्लोमा शोध सहित डिप्लोमा (Post Graduate Diploma In Research) प्रदान किया जायेगा।

22.6 पी0एच0डी0 उपाधि पूर्ण करने के लिए न्यूनतम अवधि तीन वर्ष (प्री0 पी0एच0डी0 कोर्स वर्क सहित) होगी तथा अधिकतम अवधि आठ वर्ष होगी। विश्वविद्यालय द्वारा अवधि को विशेष परिस्थिति में आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

डॉ0 अमिता अग्रवाल
संकायाध्यक्ष कला, (सदस्य)

डॉ0 गरिमा जैन,
संकायाध्यक्ष विज्ञान, (सदस्य)

प्रो0 हरिओम गुप्ता,
संकायाध्यक्ष, वाणिज्य,(सदस्य)

श्री कमल कृष्ण,
उपकुलसचिव, (सदस्य/सचिव)

प्रो0 ओमकार सिंह,
समन्वयक, राष्ट्रीय शिक्षा नीति – 2020
माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनुपर।
प्राचार्य, गोचर महाविद्यालय, रामपुर मनिहरान, सहारनपुर।

तालिका–9 : राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पी0एच0डी0 PGDR कार्यक्रमों की वर्षवार संरचना

| Year /Semester | | Subject I | Subject II | Subject III | Subject IV | Vocational | Co-Curricular | Industrial Training/Survey /Project | Minimum Credits For The year | Cumulative Minimum Credits Required for Award of Certificate/Diploma/ Degree |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Major | Major | Major | Minor/Elective | Minor | Minor | Major | | |
| | | 4/5/6 Credits | 4/5/6 Credits | 4/5/6 Credits | 4/5/6 Credits | 3 Credits | 2 Credits | 4 Credits | | |
| | | Own Faculty | Own Faculty | Own/Other Faculty | Other Subject/ Faculty | Vocational/ Skill Development Course | Co-Curricular Course (Qualifying) | Inter/Intra Faculty related to main Subject | | |
| 1 | I | Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2) | Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2) | Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2) | 1(4/5/6) | 1 | 1 | -- | 46 | (46) Certificate in Faculty |
| | II | Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2) | Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2) | Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2) | | 1 | 1 | -- | | |
| 2 | III | Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2) | Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2) | Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2) | 1(4/5/6) | 1 | 1 | -- | 46 | (92) Diploma In Faculty |
| | IV | Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2) | Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2) | Th-1 (6) or Th-1 (4)+ Pract—1 (2) | | 1 | 1 | -- | | |
| 3 | V | Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2) | Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2) | | | | 1 | 1 (Qualifying) | 40 | (132) Bachelor in Faculty |
| | VI | Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2) | Th-2 (5) or Th-2 (4)+ Pract-1 (2) | | | | 1 | 1 (Qualifying) | | |
| 4 | VII | Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4) | | | 1(4/5/6) | | | 1 (4) | 52 | (184) Bachelor (Reserch) in Faculty |
| | VII | Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4) | | | | | | 1 (4) | | |
| 5 | IX | Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4) | | | | | | 1 (4) | 48 | (232) Master in Faculty |
| | X | Th-4 (5) or Th- 4 (4) + Pract-1 (4) | | | | | | 1 (4) | | |
| 6 | XI | Th-2 (6) | Th-1(4) Research Methodology | | | | | 1 (Qualifying) | 16 | (248) PGDR in Subject |
| 6,7,8 | XII-XVI | | | | | | | Ph.D Thesis | | Ph.D. in Subject |

**Note : * = Qualifying Courses ; Th-Theory, Pract- Practical**